


20/09/23

अत्रावली पेश हुई। अपील ^{अपीलांत} अपील
न्यायालय समय में वादी एवं वादी वकील को
अलग-2 समयमें तीन बार आवॉजे दी गई।
कोई हाजिर नहीं।

अतः ^{अपील} ^{अपीलांत} इससे स्पष्ट होता है कि
वादी एवं वादी वकील अपने वाद के प्रति
गंभीर नहीं हैं।

अतः वाद इसी स्तर से अदम
पैरवी एवं अदम हाजिरी में खारिज किया
जाता है। अत्रावली फ़ैसल शुमार लेकर
दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम
हो।


उपखण्ड अधिकारी
वाडमेर